न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/98/2019

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री दिनेश कुमार यादव, एडवोकेट–बहरोड निवासी–ग्राम व पोस्ट–हमींदपुर, तहसील–बहरोड (अलवर)(राज.)–301701		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रवेश तिथि 30.10.2019

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 27.11.2019

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 12.09.2019 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर तहसील बहरोड अंतर्गत अवाप्त की गई भूमि के मुआवजा अवार्ड व तत्संबंधी Approval site map की सत्यापित प्रति चाही गई थी।
5. आवेदक को आवेदन दिनांकः 12.09.2019 में वांछित सूचना नहीं मिलने/प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित सूचना से असंतुष्ट रहने के कारण इस न्यायालय को प्रार्थना–पत्र दिनांकः 29.10.19 के माध्यम से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः लोक सूचना/2019/1542–43 दिनांकः 13.11.19 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
8. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील व प्रत्यर्थी से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया। –

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

9. प्रत्यर्थी द्वारा जवाब नोटिस पत्र सं. 1542–43 दिनांकः 13.11.19 के साथ अपीलार्थी को प्रेषित सूचना संबंधी पत्र सं. लोक सूचना/2019/1540–41 दिनांकः 13.11.19 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की है जिसका परीक्षण करने पर जाहिर हुआ कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 12.09.19 पर अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) में वर्णित समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत करने उपरान्त सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई है। उक्त उपलब्ध कराई गई सूचना भी अपूर्ण है। आवेदन दिनांकः 12.09.19 में 02 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है। आवेदन के बिन्दु सं. 1 के संबंध में किसी प्रकार की सूचना प्रेषित नहीं की गई है। बिन्दु सं.2 में वांछित सूचना के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को लिखा गया है।

10. उक्त आलोक में उक्तांकित प्रथम अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि आवेदन दिनांकः 12.09.19 के बिन्दु सं.1 में वांछित अवार्ड की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई जावे व बिन्दु सं. 2 में वांछित Approval site map संबंधित विभाग से अविलम्ब प्राप्त कर उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 10 दिवस में अपीलार्थी को उपलब्ध करावें।

11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.)
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)